



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-05032026-270675
CG-OR-E-05032026-270675

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1101]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947

No. 1101]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 3 मार्च, 2026

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 1153(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989 (24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर इच्छापुरम(IPM)-जाडूपुडी(JPI) स्टेशनों के बीच KM 633/5-7 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 334 का निर्माण", इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/ पलासा को खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवड़ा-विशाखापत्तनम मुख्य लाइन पर इच्छापुरम(IPM)-

जाड़पुडी(JPI) स्टेशनों के बीच KM 633/5-7 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 334 के निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार पर निर्धारित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "खुर्दा रोड डिवीजन के तहत हॉवडा-विशाखापटनम मुख्य लाइन पर इच्छापुरम(IPM)-जाड़पुडी(JPI) स्टेशनों के बीच KM 633/5-7 पर आर.ओ.बी (रोड ओवर ब्रिज) संख्या 334 का निर्माण" के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक-1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम:-श्रीकाकुलम

अनुलग्नक-1

भूमि अनुसूची						
परियोजना का नाम:-आरओबी-334 का निर्माण						
जिले का नाम:-श्रीकाकुलम, प्रभाग का नाम:-खोर्दा रोड, मंडल का नाम:-काविट्टी						
क्रम सं.	गाँव का नाम	एलपीएम संख्या	भूमि का किस्म	भूमि का प्रकार	कुल भूमि विस्तार	कुल क्षेत्रफल एकड़ में
1	कोज्जिरिया	31	सरकारी	पोरम्बोक	0.73	0.178
2	कोज्जिरिया	37	पटा	गीला	0.07	0.007
3	कोज्जिरिया	38	पटा	गीला	0.1	0.036
4	कोज्जिरिया	39	पटा	गीला	0.09	0.031
5	कोज्जिरिया	46	पटा	गीला	0.07	0.023
6	कोज्जिरिया	47	पटा	गीला	0.1	0.014
7	कोज्जिरिया	53	सरकारी	पोरम्बोक	2.94	0.199
8	कोज्जिरिया	70	पटा	गीला	0.06	0.022
9	कोज्जिरिया	71	सरकारी	पोरम्बोक	0.01	0.013
10	कोज्जिरिया	72	पटा	गीला	0.07	0.04
11	कोज्जिरिया	89	पटा	गीला	0.06	0.032
12	कोज्जिरिया	90	पटा	गीला	0.07	0.031
13	कोज्जिरिया	91	पटा	गीला	0.06	0.036
14	कोज्जिरिया	103	पटा	गीला	0.17	0.05
15	कोज्जिरिया	104	पटा	गीला	0.17	0.051
16	कोज्जिरिया	105	पटा	गीला	0.19	0.048
17	कोज्जिरिया	106	पटा	सूखा	0.04	0.017
18	कोज्जिरिया	107	पटा	सूखा	0.05	0.018
19	कोज्जिरिया	126	पटा	गीला	1.1	0.017
20	कोज्जिरिया	129	सरकारी	पोरम्बोक	0.53	0.52

21	कोज्जिरिया	130	पटा	सूखा	0.28	0.242
22	कोज्जिरिया	135	पटा	सूखा	0.72	0.345
23	कोज्जिरिया	136	पटा	सूखा	0.1	0.054
24	कोज्जिरिया	165	पटा	गीला	0.08	0.05
25	कोज्जिरिया	166	पटा	सूखा	0.1	0.015
26	कोज्जिरिया	180	पटा	गीला	0.04	0.014
27	कोज्जिरिया	181	पटा	गीला	0.04	0.036
28	कोज्जिरिया	182	पटा	गीला	0.04	0.035
29	कोज्जिरिया	183	पटा	गीला	0.04	0.016
30	कोज्जिरिया	184	पटा	सूखा	0.16	0.106
31	कोज्जिरिया	185	पटा	सूखा	0.14	0.105
32	कोज्जिरिया	186	पटा	गीला	0.14	0.103
33	कोज्जिरिया	195	पटा	सूखा	0.14	0.105
34	कोज्जिरिया	196	पटा	सूखा	0.15	0.109
35	कोज्जिरिया	197	पटा	सूखा	0.15	0.11
36	कोज्जिरिया	198	पटा	सूखा	0.15	0.112
37	कोज्जिरिया	199	पटा	सूखा	0.16	0.112
38	कोज्जिरिया	200	पटा	सूखा	0.06	0.063
39	कोज्जिरिया	201	पटा	सूखा	0.12	0.078
40	कोज्जिरिया	202	पटा	गीला	0.09	0.088
41	कोज्जिरिया	203	पटा	गीला	0.05	0.047
42	कोज्जिरिया	204	पटा	सूखा	0.1	0.06
43	कोज्जिरिया	231	पटा	गीला	0.1	0.052
44	कोज्जिरिया	232	पटा	गीला	0.06	0.031
45	कोज्जिरिया	233	पटा	गीला	0.06	0.029
46	कोज्जिरिया	234	पटा	गीला	0.05	0.022
47	कोज्जिरिया	235	सरकारी	पोरम्बोक	0.17	0.012
48	कोज्जिरिया	236	पटा	गीला	0.57	0.063
49	कोज्जिरिया	606	सरकारी	पोरम्बोक	1.95	0.383
50	कोज्जिरिया	607	सरकारी	पोरम्बोक	0.36	0.106
51	कोज्जिरिया	614	पटा	गीला	0.23	0
52	कोज्जिरिया	615	पटा	गीला	0.25	0.006
53	कोज्जिरिया	625	सरकारी	पोरम्बोक	0.47	0.006
54	कोज्जिरिया	643	पटा	गीला	8.9	0.044
55	कोज्जिरिया	661	पटा	गीला	0.05	0.014
56	कोज्जिरिया	662	पटा	गीला	0.04	0.039
57	कोज्जिरिया	663	पटा	गीला	0.09	0.041
58	कोज्जिरिया	664	पटा	गीला	0.03	0.013
59	कोज्जिरिया	665	पटा	गीला	0.17	0.072

60	कोज्जिरिया	666	सरकारी	पोरम्बोक	0.3	0.303
61	कोज्जिरिया	667	पटा	गीला	4.64	0.31
62	कोज्जिरिया					0.463
63	कोज्जिरिया					0.069
64	कोज्जिरिया	668	पटा	गीला	0.3	0.023
65	कोज्जिरिया	669	पटा	सूखा	0.05	0.05
66	कोज्जिरिया	682	पटा	सूखा	0.08	0.077
67	कोज्जिरिया	683	पटा	गीला	0.1	0.078
68	कोज्जिरिया	684	पटा	गीला	0.02	0.018
69	कोज्जिरिया	686	पटा	गीला	0.05	0.006
70	कोज्जिरिया	687	पटा	सूखा	0.11	0.107
71	कोज्जिरिया	688	पटा	गीला	0.06	0.002
72	कोज्जिरिया	690	पटा	गीला	0.1	0.096
73	कोज्जिरिया	864	सरकारी	पोरम्बोक	3.57	0.009
74	कोज्जिरिया	1890	पटा	गीला	0.09	0.054
75	कोज्जिरिया	1891	पटा	सूखा	0.05	0.053
76	कोज्जिरिया	1892	पटा	सूखा	0.1	0.056
77	कोज्जिरिया	1893	पटा	सूखा	0.1	0.051
78	कोज्जिरिया	1950	पटा	गीला	1.49	0.481
79	कोज्जिरिया	1953	पटा	गीला	0.03	0.03
80	कोज्जिरिया	2046	पटा	गीला	0.03	0.022
		कुल				6.679

भूमि का सारांश

ABSTRACT				
गाँव का नाम	Acquired Area			कुल अधिग्रहीत भूमि
	सरकारी भूमि	निजी भूमि		
		सूखा	गीला	
कोज्जिरिया	1.729	2.045	2.905	6.679

[फा. सं. CAO/C/RSP/BBS/2026/ROB-334/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 3rd March, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act-,1989

S.O. 1153(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (hereinafter referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed

here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.334 at Km.633/5-7 between Ichhapuram(IPM)-Jadupudi(JPI) on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division.” in Srikakulum district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Competent Authority for Land Acquisition (CALA) & Revenue Divisional Officer(RDO), Palasa** for Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.334 at Km.633/5-7 between Ichhapuram(IPM)-Jadupudi(JPI) **on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division** in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project, namely “Construction of ROB in lieu of closing of manned of L.C.334 at Km.633/5-7 between Ichhapuram(IPM)-Jadupudi(JPI) **on Howrah Visakhapatnam main line under Khurda Road Division**” in Srikakulum district of Andhra Pradesh state.

LAND SCHEDULE						
Name of the Project:- Construction of ROB-334						
Name of the District:-Srikakulam, Name of the Division:-Khurda Road,						
Name of the Mandal:-Kaviti						
Sl. No.	NAME OF VILLAGE	LPM No.	Type of Land	CLASSIFICATION OF LAND	TOTAL EXTENT LAND	ACQUIRED LAND in ACRES
1	KOJJIRIYA	31	GOVERNMENT	PORAMBOKE	0.73	0.178
2	KOJJIRIYA	37	PATTA	WET	0.07	0.007
3	KOJJIRIYA	38	PATTA	WET	0.1	0.036
4	KOJJIRIYA	39	PATTA	WET	0.09	0.031
5	KOJJIRIYA	46	PATTA	WET	0.07	0.023
6	KOJJIRIYA	47	PATTA	WET	0.1	0.014
7	KOJJIRIYA	53	GOVERNMENT	PORAMBOKE	2.94	0.199
8	KOJJIRIYA	70	PATTA	WET	0.06	0.022
9	KOJJIRIYA	71	GOVERNMENT	PORAMBOKE	0.01	0.013
10	KOJJIRIYA	72	PATTA	WET	0.07	0.04
11	KOJJIRIYA	89	PATTA	WET	0.06	0.032
12	KOJJIRIYA	90	PATTA	WET	0.07	0.031
13	KOJJIRIYA	91	PATTA	WET	0.06	0.036
14	KOJJIRIYA	103	PATTA	WET	0.17	0.05

15	KOJJIRIYA	104	PATTA	WET	0.17	0.051
16	KOJJIRIYA	105	PATTA	WET	0.19	0.048
17	KOJJIRIYA	106	PATTA	DRY	0.04	0.017
18	KOJJIRIYA	107	PATTA	DRY	0.05	0.018
19	KOJJIRIYA	126	PATTA	WET	1.1	0.017
20	KOJJIRIYA	129	GOVERNMENT	PORAMBOKE	0.53	0.52
21	KOJJIRIYA	130	PATTA	DRY	0.28	0.242
22	KOJJIRIYA	135	PATTA	DRY	0.72	0.345
23	KOJJIRIYA	136	PATTA	DRY	0.1	0.054
24	KOJJIRIYA	165	PATTA	WET	0.08	0.05
25	KOJJIRIYA	166	PATTA	DRY	0.1	0.015
26	KOJJIRIYA	180	PATTA	WET	0.04	0.014
27	KOJJIRIYA	181	PATTA	WET	0.04	0.036
28	KOJJIRIYA	182	PATTA	WET	0.04	0.035
29	KOJJIRIYA	183	PATTA	WET	0.04	0.016
30	KOJJIRIYA	184	PATTA	DRY	0.16	0.106
31	KOJJIRIYA	185	PATTA	DRY	0.14	0.105
32	KOJJIRIYA	186	PATTA	WET	0.14	0.103
33	KOJJIRIYA	195	PATTA	DRY	0.14	0.105
34	KOJJIRIYA	196	PATTA	DRY	0.15	0.109
35	KOJJIRIYA	197	PATTA	DRY	0.15	0.11
36	KOJJIRIYA	198	PATTA	DRY	0.15	0.112
37	KOJJIRIYA	199	PATTA	DRY	0.16	0.112
38	KOJJIRIYA	200	PATTA	DRY	0.06	0.063
39	KOJJIRIYA	201	PATTA	DRY	0.12	0.078
40	KOJJIRIYA	202	PATTA	WET	0.09	0.088
41	KOJJIRIYA	203	PATTA	WET	0.05	0.047
42	KOJJIRIYA	204	PATTA	DRY	0.1	0.06
43	KOJJIRIYA	231	PATTA	WET	0.1	0.052
44	KOJJIRIYA	232	PATTA	WET	0.06	0.031
45	KOJJIRIYA	233	PATTA	WET	0.06	0.029
46	KOJJIRIYA	234	PATTA	WET	0.05	0.022
47	KOJJIRIYA	235	GOVERNMENT	PORAMBOKE	0.17	0.012
48	KOJJIRIYA	236	PATTA	WET	0.57	0.063
49	KOJJIRIYA	606	GOVERNMENT	PORAMBOKE	1.95	0.383
50	KOJJIRIYA	607	GOVERNMENT	PORAMBOKE	0.36	0.106
51	KOJJIRIYA	614	PATTA	WET	0.23	0
52	KOJJIRIYA	615	PATTA	WET	0.25	0.006
53	KOJJIRIYA	625	GOVERNMENT	PORAMBOKE	0.47	0.006
54	KOJJIRIYA	643	PATTA	WET	8.9	0.044

55	KOJJIRIYA	661	PATTA	WET	0.05	0.014
56	KOJJIRIYA	662	PATTA	WET	0.04	0.039
57	KOJJIRIYA	663	PATTA	WET	0.09	0.041
58	KOJJIRIYA	664	PATTA	WET	0.03	0.013
59	KOJJIRIYA	665	PATTA	WET	0.17	0.072
60	KOJJIRIYA	666	GOVERNMENT	PORAMBOKE	0.3	0.303
61	KOJJIRIYA	667	PATTA	WET	4.64	0.31
62	KOJJIRIYA					0.463
63	KOJJIRIYA					0.069
64	KOJJIRIYA	668	PATTA	WET	0.3	0.023
65	KOJJIRIYA	669	PATTA	DRY	0.05	0.05
66	KOJJIRIYA	682	PATTA	DRY	0.08	0.077
67	KOJJIRIYA	683	PATTA	WET	0.1	0.078
68	KOJJIRIYA	684	PATTA	WET	0.02	0.018
69	KOJJIRIYA	686	PATTA	WET	0.05	0.006
70	KOJJIRIYA	687	PATTA	DRY	0.11	0.107
71	KOJJIRIYA	688	PATTA	WET	0.06	0.002
72	KOJJIRIYA	690	PATTA	WET	0.1	0.096
73	KOJJIRIYA	864	GOVERNMENT	PORAMBOKE	3.57	0.009
74	KOJJIRIYA	1890	PATTA	WET	0.09	0.054
75	KOJJIRIYA	1891	PATTA	DRY	0.05	0.053
76	KOJJIRIYA	1892	PATTA	DRY	0.1	0.056
77	KOJJIRIYA	1893	PATTA	DRY	0.1	0.051
78	KOJJIRIYA	1950	PATTA	WET	1.49	0.481
79	KOJJIRIYA	1953	PATTA	WET	0.03	0.03
80	KOJJIRIYA	2046	PATTA	WET	0.03	0.022
				TOTAL		6.679

ABSTRACT				
Village Name	Acquired Area			Total Acquired Land
	Govt. Land	Private Land		
		Dry	Wet	
KOJJIRIYA	1.729	2.045	2.905	6.679

[F.No. CAO/C/RSP/BBS/2026/ROB-334/20A]

AJAY KUMAR SAMAL, Chief Engineer(Con-II)